रूप पत्र–1

शुल्क–100.00 (नियम–5)

मत्स्य जीवी सहकारी समिति के निबन्धन हेतु प्रार्थना–पत्र

(उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 की धारा–6 के अन्तर्गत)

1– प्रस्तावित मत्स्य जीवी सहकारी समिति का नाम..
....
....

2– प्रस्तावित समिति का मुख्यालय (पते में परिवर्तन की सूचना तत्काल निबन्धक को दी जाय)

(अ)– भवन संख्या, मुहल्ला/ग्राम..
....

(ब)– डाकखाना...
....

(स)– विकास खण्ड...
....

(द)– तहसील..
....

(य)– जिला..
....

(र)– समीपवर्ती रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन व दूरी..............................
पिन कोड ....

3– प्रस्तावित समिति की श्रेणी (प्रारम्भिक/केन्द्रीय/शीर्ष)...
....

4(क)– प्रस्तावित समिति का कार्यक्षेत्र

क्र0स0	ग्राम/ग्रामसभा/मुहल्ला	न्याय पंचायत/वार्ड	विकास खण्ड	तहसील	जनपद	अन्य
1	2	3	4	5	6	7

4(ख)— क्या प्रस्तावित समिति के प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में समान श्रेणी की अन्य समिति निबन्धित है?..

...

यदि हाँ तो उसे समिति/समितियों के नाम उल्लिखित करें तथा प्रस्तावित समिति के निबन्धन का औचित्य दें।..

..

...

4(ग)— प्रस्तावित प्राथमिक समिति का प्रस्तावित कार्यक्षेत्र

1— प्रस्तावित समिति का कार्यक्षेत्र अधिकतम एक न्याय पंचायत तक सीमित होना चाहिए,

2— जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन संघ का कार्यक्षेत्र जनपद स्तर का होना चाहिए

5— क्या निबन्धक द्वारा अनुमोदित प्रतिमान उपविधि पर प्रस्ताव प्रेशित किया गया है ?...

....

<u>उपविधियों का मूल्य रू0. 2/— (नियम—4)</u>

1— प्रतिमान उपविधि की तीन प्रतियों को भरकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर मुख्य प्रवर्तक एवं सचिव के हस्ताक्षर होगें।
3— मुख्य प्रवर्तक या अन्य प्रार्थी जो प्रार्थियों द्वारा प्राधिकृत हो, की इस आशय की लिखित सहमति संलग्न करे, कि निबन्धक प्रस्तावित समिति की निबद्ध करने से पूर्व प्रस्तुत प्रस्तावित उपविधियों में ऐसे छोटे—मोटे परिवर्तन कर सकते है जो उनकी राय में वांछनीय हो **(नियम—9)**

6— प्रस्तावित समिति के सदस्य सचिव का नामः...

पिता का नामः...

पूरा पताः(पिन कोड सहित)...

शैक्षिक योग्यताः..

नोटः—यह व्यक्ति प्रार्थना पत्र का प्रथम हस्ताक्षरी होगा, जिसने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के अनुमोदन से धारा—31 की उप धारा—4 के अनुसरण में अन्तरिम अवधि के लिए सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने का वचन दिया हो

(सचिव इण्टर मीडिएट उत्तीर्ण एवं आयु 20 वर्ष से अधिक का होना चाहिए)।

7— **प्रस्तावित समिति के मुख्य प्रवर्तक का नामः...**

पिता का नामः..

पूरा पताः(पिन कोड सहित)...

....

नोटः—यह व्यक्ति प्रार्थना पत्र पर कम संख्या—02 पर हस्ताक्षर करेगा, तत्पश्चात अन्य प्रार्थी हस्ताक्षर करेगें।

8— **उन मत्स्य पालको की संख्या उल्लिखित करें जो प्रस्तावित समिति की साधारण सदस्यता ग्रहण करने पर सहमत हो :.......................................**

....

नोटः(1)— प्रस्तावित समिति में कम से कम 27 अर्ह सदस्य हो, जिसमें 06 प्रतिशत महिला एवं 03 अनुसूचित जाति के व्यक्ति सदस्य हो। केन्द्रीय समिति में कम से कम पांच अथवा कुल निबन्धित समितियों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक जो भी कम हो तथा सदस्यता ग्रहण करने को सहमत हो।

(2)— सदस्यता ग्रहण करने को सहमत समितियों/निगमित निकाय की ओर से वही प्रत्यायुक्त/प्रतिनिधि प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र होगा जो नियम—35 अथवा 38 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया हो अर्थात जो सम्बन्धित समिति में प्रदत्त से नियुक्त किया गया हो।

(3)— उपविधि में सदस्यता की पात्रता दी गई है, जिसका अध्ययन आवश्यक है।

(4)— मंछुवा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार स्तर से निम्न अधिकारी का मान्य न होगा।

(5)— विचौलिया का प्रमाण पत्र सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण का मान्य होगा।

(6)— निबन्धन हेतु प्रेषित आवेदन पत्र हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक सदस्य को निर्धारित प्रारूप पर समिति के निबन्धन के माह के अन्दर इस आशय का घोषणा पत्र अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना हेगा कि वह वर्तमान उप विधियों और उसके किसी संशोधन को मानने को बाध्य होगा। यदि वह ऐसा न करे तो वह समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने का भागी होगा।

(7)— प्रस्तावित समिति के सदस्यों के विवरण/घोषणा पत्र आगामी प्रस्तर में दिया है।

9— <u>अंशपूंजी</u>

अ— सदस्यों द्वारा जमा अंशपूंजी की कुल धनराशि...

धनराशि शब्दों में..

ब— जिला सहकारी बैंक में सम्बन्धित का खाता संख्या..

प्रति संलग्न करें।

10— कार्यक्षेत्र में मत्स्य पालन एवं आखेट हेतु उपलब्ध जलक्षेत्र का विवरण न्याय पंचायत/ग्राम सभा

क0 सं0	जलक्षेत्र	क्षेत्रफल (हे0 में)	लम्बाई कि0मी0 में	प्रस्तावित समिति को आवंटन की सम्भावना	
				क्षेत्रफल हे0 में	लम्बाई कि0मी0 में
1	2	3	4	5	6
1	झीलें				
2	जलाशय				
3	नदियां				
4	अन्य				
	योग				

11— (अ)— प्रस्तावित समिति द्वारा प्रस्तावित व्यवसायों का विवरणः—

क0 सं0	व्यवसाय	आर्थिक सहायता		प्रस्तावित व्यवसाय की धनराशि	अनुमानित आय	अनुमानित व्यय	अनुमानित लाभ
		श्रोत	धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7	8

11— (ब)— प्रस्तावित व्यवसायों के सम्बन्ध में अन्य सूचनाः—

1— कौन—कौन से निवेश आवश्यक होगें तथा उनकी व्यवस्था का क्या श्रोत होगा?.........................
....
....

2— विपणन व्यवस्था किस प्रकार होगी?..
....

3— क्या समिति का कार्य सदस्यों से कराया जायेगा?...
....

4— सदस्यों को क्या—क्या कार्य लाभा व सुविधायें उपलब्ध होगी?...
....
....

(सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी तकनीकी दृष्टि से व आर्थिक रूप से वाइविल्टी योजना तैयार कर संलग्न करें।)

12— क्या समिति में कार्य हिन्दी देवनागरी लिपि में किया जायेगा?...................................
....

13— क्या निबन्धन के पश्चात समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगी?..............
....

14— सदस्यों द्वारा प्रेषित घोषणा पत्र का प्रारूपः—

घोषणा—पत्र

उपरोक्त वर्णित समिति के निबन्धन हेतु अधोहस्ताक्षरीकर्ता, जिनमें नाम, पतें एवं हस्ताक्षर तथा अन्य विवरण निम्न प्रकार से है, द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। हम हस्ताक्षरकर्ता घोषणा करते है किः—

1— कि हम प्रस्तावित समिति से सम्बन्ध में रहने की अवधि में अनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों तथा उसके किसी संशोधन को मानने को बाध्य होगें।

2— कि हम समान श्रेणी की किसी अन्य समिति के सदस्य नही है, और न हम उसी प्रकार का कार्य करते है, जो समिति द्वारा किया जाता है। हम प्रस्तावित समिति का साधारण सदस्य होने के लिए अधिनियम/नियमों/उपविधियों के अन्तर्गत अनर्ह नही है।

3— समिति के निबन्धन के पश्चात 90 दिन के भीतर हम प्रथम सामान्य निकाय की बैठक करेगें, जिसमें नियम—402 से 406 के अन्तर्गत तदर्थ प्रबन्ध कमेटी, सभापति एवं उपसभापति आदि का निर्वाचन किया जायेगा।

4— कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र को हमने पूरी तरह पढ़ व समझ लिया है, तथा आवश्यक नियमों की हमें जानकारी हो गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य गलत प्रस्तुत किया या छुपाया नही गया है। यदि ऐसा पाया जाय तो समिति का निबन्धन निरस्त कर दिया जाय।

प्राथमिक समिति के लिएः—

क 0सं 0	प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम	पिता का नाम	आयु	जति	व्यवसाय	पूरा पता	ब्लाक	जनपद	अंशधन जमा अंश पूंजी	प्रवेश शुल्क	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(क) प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है। मैं इन्हें भली–भांति जानता हूँ। उनसे सम्बन्धित विवरण सत्य है। मैने नियम–377 से 380 में दिये गये कर्तव्यों का निर्वहन भलीभांति किया है।

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
मुख्य प्रवर्तक

निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर
प्रमाणित
मत्स्य निरीक्षक (सहकारिता)

(ख) जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन संघ हेतु :–

क0 सं0	समिति का नाम	पंजीकरण		प्रतिनिधि नियुक्ति का संकल्प		प्रस्तावित प्रतिनिधि का नाम	पिता का नाम	जाति/व्यवसाय	अंशधन जमा		प्ता ग्राम व पोस्ट/जनपद	हस्ताक्षर	
		संख्या	तिथि	संख्या	तिथि				दिनांक	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है। मैं इन्हें भली–भांति जानता हूँ। उनसे सम्बन्धित विवरण सत्य है। मैने नियम–377 से 380 में दिये गये कर्तव्यों का निर्वहन भलीभांति किया है।

हस्ताक्षर
मुख्य प्रवर्तक

निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर
प्रमाणित
मत्स्य निरीक्षक (सहकारिता)
प्रतिहस्ताक्षरित

(सील)ह0 सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जनपद..................................

प्रपत्र–2

मत्स्य समिति का संगठन/जांच प्रतिवेदनः–

1– प्रस्तावित समिति का नाम..
....

(अ) प्रस्तावित समिति के नाम के साथ किसी
अन्य सम्प्रदाय या जाति का नाम तो जुड़ा नही है?...
....

2– समिति के मुख्यालय का पता..ग्राम....................................पोस्ट..........
....

ब्लाक....................................तहसील..जनपद...
................पिन कोड

(अ) कार्यालय किसी व्यक्ति के घर में है?..
.... (ब) किराये पर है या निःशुल्क किराया प्रतिमाह..
....

3– (अ) समिति का प्रस्तावित कार्यक्षेत्र का विवरण दें
(न्याय पंचायत एवं क्षेत्रवार ग्राम सभा सहित)..
....
....

(ब) प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र
का अन्य किसी समान श्रेणी की
समिति के कार्यक्षेत्र से अतिकमण तो नही है?..
....

यदि है तो किन समितियों के
कार्यक्षेत्रों का अतिकमण होता है,
उन समितियों का निबन्धन संख्या/तिथि...
....

तथा कार्यक्षेत्र (न्याय पंचायत एवं क्षेत्रवार ग्राम सभा सहित)..................................
....
....

(स) क्या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र समिति के कारोबार एवं सदस्यता को देखते हुए उचित है?
यदि नही तो कारण दर्शाया जाय।...
....

(द) क्या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र समिति के कारोबार एवं सदस्यता को देखते हुए उचित है?
यदि नही तो कारण दर्शाया जाय।...
....

4(क) 1— कुल कितने व्यक्ति/समितियां प्रस्तावित समिति की सदस्यता ग्रहण करने को सहमत है?........

....

....

2— समितियां निगमित निकाय की दशा में प्रत्यायुक्तों/प्रतिनिधियों की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी/ सक्षम सभा के प्रस्ताव द्वारा की गई है..

....

3— क्या सम्बन्धित आदेश/संकल्प संलग्न है तथा प्रतिनिधि समितियों के सामान्य निकाय के सदस्य है, एवं सहकारी नियम—453 में वर्णित अन्हर्ता तो नही है?............................

....

....

4(ख) क्या ये सभी व्यक्ति समिति की प्रस्तावित उपविधियों/नियमावली के उपबन्धों एवं अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सदस्यता हेतु अर्ह है?..

....

....

4(ग) ग्राम सभावार कुल सदस्यता हेतु अर्ह व्यक्तियों की संख्या तथा सदस्यता ग्रहण को सहमत व्यक्तियों की संख्या दी जाय।...

....

....

4(घ) <u>घोषणा पत्रः</u>— क्या प्रस्तावित सदस्यों ने इस आशय का घोषणा पत्र दिया है कि वे वर्तमान उपविधियों व भविष्य में होने वाले संशोधनों से बाध्य होगें।

यदि नही तो निबन्धन प्रमाण पत्र जारी होने के कितने दिन बाद प्राप्त कर लिया जायेगा।

4(अ) त्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठे सही है, तथा प्रमाणित है?

4(ब) प्रस्तावित समिति की सदस्यता ग्रहण करने के लिये सहमत व्यक्ति :—

1—समान श्रेणी की किसी अन्य मत्स्य

जीवी सहकारी समिति के सदस्य तो नही है?

2–व्यक्ति उसी तरह का कार्य तो नही करते है, जैसा कार्य समिति द्वारा कया जाना है?

3–नियम–8(ख) के उपबन्धों से असंगत तो नही है?

5– सदस्यों द्वारा कितनी अंशपूंजी एकत्रित की गई है, और उसे किस बैंक में किस खाता संख्या में जमा किया गया है? यथा रसीद संलग्न है?

6(अ)–**सचिव**– सदस्य सचिव का नाम मय बल्दियत व पता का उल्लेख करें।

(ब) क्या सचिव को अवगत करा दिया गया है कि नियमित सचिव की नियुक्ति तक उनको कार्य करना है?
क्या इन्होने धारा–31 की उपधारा–4 के अनुसरण में अन्तरिम अवधि के लिए सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने का बचन दिया है?
क्या सचिव को प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का अनुमोदन प्राप्त है? यदि हो तो प्रस्ताव संकल्प संलग्न करें।

(स) सदस्य सचिव की शैक्षिक योग्यता व आयु क्या है? शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष तथा आयु 20 वर्ष **(पत्रांकः 147/सह0शा0/निबन्धन/सचिव कैडर/2017–18, दिनांक 20.03.2018 द्वारा संशोधित)** न्यूनतम होना चाहिए। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7– 1– **मुख्य प्रवर्तकः**– प्रस्तावित मुख्य प्रवर्तक का नाम वल्दियत एवं पूरा पता अंकित करें।

2– प्रार्थना पत्र में क्या इनके हस्ताक्षर किस क्रम पर है?
क्या उपविधियों पर इनके हस्ताक्षर यथा स्थान है, हस्ताक्षर प्रमाणित करें?

3– मुख्य प्रवर्तक क्या कार्य या व्यवसाय करते है? यह उसी प्रकार का कार्य तो नही करते है, जैसा समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

8(क)–
जलक्षेत्रः– समिति के कार्यक्षेत्र उपलब्ध

समस्त जलक्षेत्र मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त है, विवरण ग्रामसमावार दें। समिति को कितने जलक्षेत्र के आवंटन की संभावना है?

(ख) क्या प्रत्येक प्रस्तावित सदस्य को एक हेक्टेअर जलक्षेत्र उपलब्ध होगा?

9— व्यवसायः—

(क) प्रस्तावित समिति द्वारा कौन–कौन से व्यवसाय किये जाने प्रस्तावित है।

(ख) तकनीकी दृश्टि से एवं आर्थिक दृश्टि से वायविल्टी कार्य योजना संलग्न करें और बताये किः—

1— समिति के निबन्धन के पश्चात समिति की अनुमानित भाुद्व लाभ कितना होगा?

2— समिति कितने वर्शों में स्वश्रयी हो जायेगी?

3— समिति सदस्यों को किन–किन रूपों में क्या–क्या कार्य/रोजगार उपलब्ध होगा तथा समिति से क्या–क्या सुविधायें एवं लाभ होगें?

4— क्या समिति का कार्य सदस्यों से ही कराया जायेगा? यदि नही तो कारण स्पष्ट करें?

10— क्या प्रस्तावित समिति में कार्य हिन्दी/देवनागरी लिपि में किया गया है?

11— क्या निबन्धन के पश्चात समिति अपने उद्‌देश्यों की पूर्ति में सफल होगी?

12— क्या अधिनियम, नियमावली, शासकीय व विभागीय नीतियों के अनुसरण में प्रस्तावित समिति निबन्धन योग्य है?

13—

स्पष्ट संस्तुति की :—

मैं...पदनाम..
जाचोंपरान्त यह घोषणा करता हूँ कि प्रस्तावित मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0...............
....अधिनियम/नियमों के अनुसार निबन्धन योग्य है। अतः मेरी संस्तुति है कि प्रस्तावित समिति का निबन्धन कर दिया जाय।

हस्ताक्षर/मुहर
जांचकर्ता/मत्स्य निरीक्षक
(सह0)
नाम :...
पदनाम :.......................................

<u>सहायक निदेशक मत्स्य की संस्तुति–</u>

मैं निबन्धन के प्रस्ताव/उपविधियों/कार्ययोजना तथा निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन की भली-भांति जांच कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रस्तावित समिति...सर्वथा निबन्धन योग्य है। मेरी संस्तुति है कि इस समिति का निबन्धन कर दिया जाय।

हस्ताक्षर/मुहर
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
जनपद..................................

<u>मण्डलीय उप निदशेक मत्स्य की संस्तुति–</u>

प्रस्तावित समिति..निबन्धन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। संस्तुति करता हूँ कि इसका निबन्धन कर दिया जाय।
विशेष अभ्युक्ति यदि कोई हो...

हस्ताक्षर/मुहर
उप निदेशक मत्स्य

मण्डल...............................

प्रपत्र–3

संगठन बैठक कार्यवाही :–

प्रस्तावित ....मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0,....................................
..................ग्राम....................................पोस्ट.................................विकास खण्ड..........................
जनपद................................. पिन कोड
की बैठक दिनांक..समय.........................बजे...
....

उपस्थिति–

कमांक	नम	पिता /पति का नाम	हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान (अवैतनिक सचिव/मुख्य प्रवर्तक/सदस्यगण)
1			
2			
3			
4			
5			

प्रस्ताव संख्या		निर्णय
1–	नवीन मत्स्य जीवी समिति के गठन पर विचार	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सदस्यों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु एक मत्स्य जीवी सहकारी समिति का गठन किया जाय तथा समिति के पंजीयन हेतु उप निदे ाक मत्स्य, सहकारिता/निदे ाक मत्स्य से अनुरोध किया जाय।
2–	प्रस्तावित समिति का नाम पता एवं कार्यक्षेत्र के निर्धारण पर विचार	सर्व समिति से नि चत किया गया कि प्रस्तावित समिति का नाम, पता एवं कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार रखा जाय– 1=नाम...............................मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0... 2–पता ग्राम................................पोस्ट........................... विकास–खण्ड..............................तहसील..................... ....जनपद.................................. 3–कार्यक्षेत्र न्याय पंचायत/न्याय पंचायतों की.........

		....ग्राम सभायें
3–	अंशधन एवं प्रवेश शुल्क निश्चित करने पर विचार	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अंश की नामी कीमत रू0 100/–रखा जाय तथा प्रवेश शुल्क रू0 10/– निश्चित किया जाय।
4–	उपविधि की स्वीकृत पर विचार	प्रस्तावित समिति की उपविधि पढ़ कर सुनाई गई और सर्व सम्मति से स्वीकार की गई तथा उपविधि के धारा–4(क)(1) में संशोधन को भी स्वीकार किया गया।
5–	अवैतनिक सचिव एवं मुख्य प्रवर्तक के नाम पर विचार	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री ....पुत्र ....(प्रथम हस्ताक्षरी) को अवैतनिक सचिव एवं श्री ....पुत्र... ....(द्वितीय हस्ताक्षरी) को मुख्य प्रवर्तक नियुक्त किया जाय। अवैतनिक सचिव, नियमित सचिव की नियुक्ति तक कार्य करेंगें।
6–	समिति के अभिलेख रखने पर विचार	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अवैतनिक सचिव अभिलेखों के सुरक्षित रख–रखव हेतु उत्तरदायी होगें।
7–	कटिंग पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देने पर विचार	निर्णय लिया गया है कि अवैतनिक सचिव अथवा मुख्य प्रवर्तक कटिंग पर हस्ताक्षर करेंगें।
8–	बैंक में खाता खोलने एवं उसके परिचालन हेतु अधिकार देने पर विचार	निर्णय लिया गया है कि समिति की ओर से अवैतनिक सचिव एवं मुख्य प्रवर्तक जिला सहकारी बैंक लि0......................................में बचत खाता खोलने तथा संयुक्त हस्ताक्षर से परिचालन हेतु अधिकृत किये गये।
9–	पंजीयन प्रस्ताव में छोटे–मोटे संशोधन करने हेतु उप निदेशक मत्स्य (सहकारिता)/ निदेशक मत्स्य को अधिकृत करने पर विचार	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उप निदेशक मत्स्य (सहकारिता)/निदेशक मत्स्य छोटे–मोटे संशोधन करके कटिंग पर हस्ताक्षर कर सकते है।
10–	सदस्यता की स्वीकृत एवं अंशधन की वसूली पर विचार	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि निम्न सदस्यों की सदस्यता स्वीकार की जाय तथा उनके द्वारा उनके सम्मुख अंकित अंशधन/प्रवेश शुल्क की वसूली को बैंक में जमा किया।

नाम स्टॉक	पिता	ग्राम	अंशधन	प्रवेश शुल्क

11–	रोकड़ सत्यापन पर विचार	श्री..अवैतनिक

सचिव के पास मु0.................................रू0 रोकड़ का सत्यापन किया जाय।

हस्ताक्षर
सभापति

हस्ताक्षर
अ0 सचिव

प्रस्तावित समिति का नाम...

प्रति हस्ताक्षरित

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिक
नाम...
दिनांक...................................